

प्रेषक:

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
बिलासपुर (यमुनानगर)।

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी,
सरस्वती हैरिटेज सब डिविजन न0 -03
जगाधरी ।

क्रमांक : 1174

दिनांक : 27.05.2022


विषय :-

Noc for use of Panchayat Land of Village Kathgarh, for Job Facilities & Dumping site the construction of Adi Badri Dam.

सन्दर्भ:

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 121/ 4W दिनांक 1805.2022 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में आपको लिखा जाता है कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र के साथ जो सजरा संलग्न है उसमें अकिंत पंचायती भूमि खसरा न0 आपको आदिबद्री बांध निर्माण के लिए अस्थायी रूप से **Job Facilities & Dumping site** प्रयोग हेतू दिये जाते हैं। इस भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत का रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया जाएगा व भविष्य में ग्राम पंचायत अगर इस भूमि को किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए प्रयोग करना चाहती है तो आपके विभाग को यह भूमि खाली करनी होगी।


खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
बिलासपुर (यमुनानगर)।


पृ0 क्रमांक

1175

दिनांक 27.05.2022

प्रेषित है।

- 1 उपायुक्त महोदय, यमुनानगर।
- 2 उपमण्डल अधिकारी (ना0), बिलासपुर।
- 3 जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।


खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
बिलासपुर (यमुनानगर)।